



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## (असाधारण)

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 278]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 6 सितम्बर 2023—भाद्र 15, शक 1945

वाणिज्यिक कर विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 सितम्बर 2023

क्र. CT-8-0013-2023-Sec-1-पांच (CT)(39).—राज्य सरकार, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2023 (2023 का 21) की धारा 1 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए—

- (क) तारीख 1 अक्टूबर, 2023 को, उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम की धारा 2 से धारा 23 तक (धारा 14 से धारा 19 के सिवाय) के उपबंध प्रवृत्त होंगे;
- (ख) तारीख 1 अगस्त, 2023 को, उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम की धारा 14 से धारा 19 के उपबंध प्रवृत्त माने जावेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 6 सितम्बर 2023

क्र. CT-8-0013-2023-Sec-1-पांच (CT).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्र. CT-8-0013-2023-Sec-1-पांच (CT)(39), दिनांक 6 सितम्बर 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, the 6<sup>th</sup> September 2023

No. CT-8-0013-2023-Sec-1-V (CT) (39).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of Section 1 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2023 (21 of 2023), the State Government here by appoints,—

- (a) the 1<sup>st</sup> day of October, 2023, as the date on which the provisions of sections 2 to 23 (except sections 14 to 19) of the said Act shall come into force;
- (b) the 1<sup>st</sup> day of August, 2023, as the date on which the provisions of sections 14 to 19 of the said Act shall be deemed to have come into force.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
R. P. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.